न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह

बइजलास श्री शिवराज मीणा आर0 ए0 एस0 उपखण्ड अधिकारी

मि0 नं0 83/2021 ता0 रजू 30.06.2021

उनवान

1. सुनिल कुमार पुत्र त्रिलोकचन्द जाति महाजन निवासी कस्बा टोड़ारायसिंह।

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार पि0 त्रिलोकचन्द जाति महाजन निवासी कस्बा टोड़ारायसिंह ।
2. पारसचन्द पि0 त्रिलोकचन्द जाति महाजन निवासी कस्बा टोड़ारायसिंह ।
3. अशोक कुमार पि0 त्रिलोकचन्द जाति महाजन निवासी कस्बा टोड़ारायसिंह ।
4. तहसीलदार/सब रजिस्ट्रार टोडारायसिंह।

–प्रतिवादीगण–

दावा घोषणा खातेदारी, तकासमा
व स्थायी निषेधाज्ञा

आदेश **दिनांकः–03.04.2024**

वाद वादी का मुख्य रूप से कथन है कि साबिक आराजी खसरा नं0 3683/2 रकबा 2:09 बीघा जिसके हाल खसरा नं0 3617 रकबा 0.01 है0, 3618 रकबा 0.61 है0, कस्बा टोड़ारायसिंह में स्थित है। उक्त आराजी मृतक त्रिलोकचन्द पुत्र सुवालाल महाजन निवासी टोड़ारायसिंह की स्वअर्जित है। जिनका निधन दिनांक 25.09.2006 को हो गया हैं। वादी व प्रतिवादी नं0 1 ल0 3 मृतक त्रिलोकचन्द के वारिस हैं। मृतक त्रिलोकचन्द जी ने अपनी समस्त चल एवं अचल सम्पति मय उक्त अराजी से एक रजिस्टर्ड वसीयत वादी व प्रतिवादीगण के हक में दिनांक 22.02.2005 को की जो उपपंजीयक अधिकारी, टोड़ारायसिंह के कार्यालय में उक्त दिनांक पुस्तक सख्या 03, जिल्द सख्या–04, ने पुष्ट सख्या 69 क्रम संख्या 2005000006 पर पंजीबद्ध हुई हैं।

त्रिलोकचन्द ने जो वसीयत करवायी थी उसके पेज नं0–4 के मद नं0 –03 में स्पष्ट अंकन करवाया था कि 7,00,000/–रूपयें के गहने व घरेलू सामान मेरे बडे पुत्र राजेन्द्र कुमार के पास सुरक्षित हैं। इन्हे चारो भाई बराबर बांट लेगें। यदि राजेन्द्र हिस्सा नहीं देता हैं तो प्लाट जिसके खसरा नं0 3617 व 3618 हैं। उसमें राजेन्द्र का कोई हिस्सा नहीं रहेगा बल्कि तीनों भाईयो का हक हिस्सा रहेगा। एक वर्ष की अवधि में यदि राजेन्द्र कुमार उक्त राशि व सामान में से अपने भाईयों को हिस्सा देगा तो इसका हिस्सा प्लाट में होगा नहीं देने पर नहीं होगा। वसीयत दिनांक 22.02.2005 की अन्तिम वसीयत हैं। मुताबिक वसीतय प्रतिवादी राजेन्द्र कुमार ने 7,00,000/–रूपयें व घरू सामान में से कोई एक हिस्सा वादी व प्रतिवादी नं0 2 व 3 को नहीं दिया हैं, खुद के पास हीं रख लिया है। और अब वसीयत के विपरीत जाकर उक्त आराजी का नामान्तरकरण अपने अकेले के नाम करवाने पर उतारू हैं। इस हेतु व तहसील कार्यालय में कार्यवाहीं कर रहा हैं। इसलिए वादी को यह दावा पेश करना पड़ा हैं।

उक्त आराजी में वादी व प्रतिवादी नं0 2 व 3 का बहिस्सा बराबर हैं। प्रतिवादी राजेन्द्र कुमार का कोई हक हिस्सा नहीं हैं। वादी अपने हिस्से की आराजी को अपने नाम लगवाने का व उसका विभाजन करवाने का एवं प्रतिवादी नं0 1 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी हैं। यदि पाबन्द नहीं किया गया तो प्रतिवादी वादी के कब्जे में बैजाभजाहमत करेगा। जमीन को खुर्द बुर्द कर देगा जिससे वादी को नातलाफी नुकासान होगा। जिसकी क्षतिपूर्ति आर्थिक रूप से कतई सम्भव नहीं हो सकेगी।

अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर आराजी खसरा नं0 3617 रकबा 0.01 है0, 3618 रकबा 0.61 है0 वाके कस्बा टोड़ारायसिंह तहसील [illegible] व प्रतिवादी नं0 2 व 3 को खातेदार घोषित किया जावें। राजस्व रिकार्ड में अंकन [illegible] विभाजन कराया जावें। तथा प्रतिवादी नं0 1 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया [illegible] कि [illegible] उक्त आराजी से वादी को बेदखल नहीं करें। उक्त आराजी को रहन, बय बक्शीस, बयान [illegible] बुर्द नहीं करें।

वाद वादी पेश होने पर तलबी प्रतिवादीगण [illegible] जिस पर प्रतिवादीगण की और से उनके अभिभाषक उपस्थित आयें दिनांक 17.01.2023 को [illegible] भिभाषक प्रतिवादी ने निवेदन किया कि वे जवाब पेश नहीं करना चाहते हैं। तथा वाद के बाबत् उनको [illegible] आपत्ति नहीं हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shiv Raj Meena
Date: 2024.05.30 16:25:50 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने वाद के समर्थन में फॉटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र अमरी देवी, मत्यु प्रमाण पत्र त्रिलाकचन्द पुत्र सुवालाल, नकल जमाबंदी खतौनी संख्या 246 सम्वत् 2073–2076 वाके ग्राम टोड़ारायसिंह प्रदर्श 1, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 2, जमाबंदी सम्वत् 2020–2023 प्रदर्श 3, वसीयत दिनांक 22.02.2005 प्रदर्श 4,

Scanned with OKEN Scanner

जिसकी फॉटो, फॉटो प्रति प्रदर्श ए–4, पेश किये। तथा बयानात वादी सुनील कुमार, गवाह रामपाल तथा गवाह शंकर माली के करवायें जाकर शामिल करवाये गयें।

बहस अभि0 उपभय पक्ष सुनी गई। जो मुख्य रूप से वाद पत्र के अनुसार रहीं। साथ ही अभि0 प्रतिवादी ने कथन किया की वाद के सम्बन्ध में उन्हे कोई किसी तरह की आपत्ति नहीं है। ताकि वादी डिकी फरमा दिया जावें। वादी ने कहां की तकासमा नहीं चाहते हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वादग्रस्त आराजी मुताबिक जमाबंदी मृतक त्रिलोकचन्द पुत्र सुवालाल जाति महाजन हिस्सा 1/4 सा0 देह खातेदार के नाम अन्य सह खातेदारान के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। जो कि जामाबंदी खाता संख्या 246 जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 वाके कस्बा टोड़ारायसिंह प्रदर्श–1 से जाहिर हैं। अर्थात वादी व प्रतिवादीगण के पिता त्रिलोकचन्द का उक्त आराजी में 1/4 हिस्सा हैं। जिसके बाबत् मृतक त्रिलोकचन्द के द्वारा एक वसीयत अपनी समस्त चल अचल सम्पति के बाबत् वादग्रस्त आराजियात के सम्बन्ध में दिनांक 22.02.2005 को अपने पुत्रो के नाम लिखकर रजिस्टर्ड करवाया गया है। जो प्रदर्श–4 व उसकी फॉटो प्रति प्रदर्श ए–4 हैं। वसीयत कर्ता त्रिलोकचन्द पुत्र सुवालाल जाति महाजन जो कि पक्षकारान का पिता है, ने अपनी वसीयत दिनांक 22.02.2005 के पेज नं0 4 के मद नं0 03 में वादग्रस्त आराजी के बाबत् स्पष्ट रूप से लिखा है कि "मेरी चल सम्पति जो की तकरीबन 7,00,000/–रूपयें के गहने व अन्य घरेलू सामान मेरे बड़े पुत्र राजेन्द्र कुमार के पास सुरक्षित रखे हुये हैं, उसे चारो पुत्र समान चार भागो में बाट लेवें। यदि मेरा पुत्र राजेन्द्र कुमार मेरी उक्त चल सम्पति में से हिस्सा नहीं देता है। तो मेरा प्लाट जो कि टोड़–केकड़ी रोड़ हाय सैकेण्डरी स्कूल के फिल्ड के पास स्थित हैं। उसे राजेन्द्र कुमार के अतिरिक्त तीन भागो में बांट लिया जावें। अगर एक वर्ष की अवधि में मेरे तीनो पुत्रों द्वारा लिखित पत्र जिसमें यह कहां गया हो की हमें चल सम्पति का बराबर हिस्सा मिल गया हैं, तो उक्त प्लाट को समान चार भागो में बांट लिया जावे।"

वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी के संबंध में स्पष्ट उल्लेख किया है कि वादग्रस्त आराजी त्रिलोकचन्द पुत्र सुवालाल महाजन की स्वअर्जित हैं। जिनका निधन दिनांक 25.09.2006 को हो गया है। वादी व प्रतिवादीगण 1 ल0 3 त्रिलोकचन्द के वारिस हैं। त्रिलोक चन्द के द्वारा दिनांक 22.02.2005 को एक वसीयत अन्य चल अचल सम्पतियों सहित वादग्रस्त आराजी के बावत् लिखी हैं। जिसकी पेज संख्या 4 की मद नं0 3 में वादग्रस्त आराजी के बावत् उल्लेख किया हैं। जिसमें अंकित किया हैं कि 7,00,000/–रूपयें के गहने एवं घरेलू सामान मेरे बड़े पुत्र राजेन्द्र कुमार के पास सुरक्षित हैं। इन्हे चारो भाई बराबर बांट लेगें यदि राजेन्द्र कुमार हिस्सा नहीं देता हैं, तो जो प्लाट हायर सैकेण्डरी स्कूल के फिल्ड के पास स्थित हैं उसे राजेन्द्र कुमार के अतिरिक्त तीन भागो में बांट लिया जावें। अगर एक वर्ष की अवधि में मेरे तीनो पुत्रो द्वारा लिखित पत्र जिसमें कहां गया हो कि हमें चल अचल सम्पति का बराबर हिस्सा मिल गया है, तो उक्त प्लाट को समान चार भागों में बांट लिया जावें अर्थात प्रतिवादी नं0 1 राजेन्द्र कुमार के पास 7,00,000/–रूपयें के गहने व अन्य घरेलू सामान था, उसने उसे चारो भाईयां में नहीं बाटकर अकेले स्वयं ने ही रख लिया। चूकि वसीयत दिनांक 22.02.2005 प्रदर्श –4 के पेज नं0 4 की मद नं0 3 में लिखित शर्त की पालना प्रतिवादी नं0 1 के द्वारा नहीं की गयी हैं। इसलिए वादग्रस्त आराजी में मृतक त्रिलोकचन्द पुत्र सुवालाल के हिस्से 1/4 की आराजी में (वादग्रस्त आराजी में) प्रतिवादी नं0 1 राजेन्द्र कुमार का हिस्सा नहीं होकर शेष तीनों भाईयों (वादी एवं प्रवितादी नं0 2 एवं 3) का हीं हिस्सा है। वाद पत्र के बावत् अभि0 प्रतिवादी को भी कोई आपत्ति नहीं हैं। जाहिर हैं कि वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी नं. 1 का कोई हिस्सा नहीं है। वह हिस्सा नहीं चाहता हैं। सिर्फ वादी व प्रतिवादी नं0 2 एवं 3 का ही समान हक हिस्सा हैं। तथा प्रतिवादी नं0 1 के पास 7,00,000/–रूपयें के गहने एवं घरेलू सामान रह गया हैं। जिसमें से वादी व प्रतिवादी नं0 2, 3 को हिस्सा नहीं दिया गया हैं। स्वयं प्रतिवादीगण के अभिभाषक द्वारा वाद पत्र को स्वीकार किया हैं। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में वादी व प्रतिवादी नं0 2, 3 बहिस्सा बराबर की घोषणा खातेदारी करवाने का अधिकारी हैं।

अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर आराजी खसरा नं0 3617 रकबा 0.01 है0, 3618 रकबा 0.61 है0 वाके कस्वा टोड़ारायसिंह में खातेदार मृतक त्रिलोकचन्द पुत्र सुवालाल जाति महाजन के हिस्से 1/4 में वादी के हिस्से 1/12, का प्रतिवादी 2 को हिस्सा 1/12 का तथा प्रतिवादी नं0 3 को हिस्से 1/12 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। खातेदारी से मृतक त्रिलोकचन्द का नाम विलोपित किया जाता हैं। तद्नुसार रिपोर्ट राजस्व में अमल हेतु पर्चा डिकी मुर्तीब हों। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेगें।

आदेश आज दिनांक 03.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shiv Raj Meena
Date: 2024.05.30 16:25:50 IST
Reason: SelfAttested

03/04/2024
(शिवराज मीणा)
आर0 ए0 एस0
उपखण्ड अधिकारी
टोड़ारायसिंह

Scanned with OKEN Scanner